नम्बर व तारीख
हुकाम जो इस
म की तामील
जारी हुए।

न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं–21/2021 प्रवेश दिनांक 25.05.2021 निर्णय दिनांक 03.11.2021

उनवान

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का सूरेर तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1.रामकरण पुत्र भौरा जाति मीणा ग्राम सूरेर तहसील राजगढ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का सूरेर द्वारा ग्राम सूरेर के आराजी ख0 नं0 45 रकबा 0.60 है0 में किस्म चाही 2 खातेदारी कृषि भूमि मे गैरसायल रामकरण पुत्र भौरा जाति मीणा ग्राम सूरेर तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा 0.0240 हैक्टेयर भूमि में दुकान निर्मित कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपानन्तरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल उपस्थित रहा, नोटिस जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। साथ ही वकालतनामा श्री प्रदीप दिक्षित एड्वाकेट द्वारा पेश किया गया एवं बहस हेतु समय चाहा गया, समय दिये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहा। गैरसायल की अनुपस्थिति पर एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायल के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृती के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायलान द्वारा अपने बचाव में बहस तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः रामकरण पुत्र भौरा जाति मीणा ग्राम सूरेर तहसील राजगढ जिला अलवर के विरूद्ध बिना स्वीकृति के ग्राम सूरेर के आराजी ख0 नं0 45/0.60 हैक्टेयर भूमि में से 0.0240 हैक्ट0 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुकान का निर्माण कर उपयोग करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर लगान 1.00 रूपये का पचास गुणा राशि 50.00/– रूपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें। चूंकि गैरसायल का ये कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृती उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तो के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषिभूमि शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

आज दिनांक 03.11.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार
तहसीलदार, राजगढ
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 11 पर 90 नं. 50/-
राशि कायम कि...
त. रा. लेखाकार